न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 16/2019

अपीलांट– *बनाम* **रेस्पोडेंट्स –**

खेताराम पुत्र दलाराम जाति जाट निवासी सगरामाणियों की बेरी पटवार क्षेत्र पीपराली तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

1. श्रीमती तुलछीदेवी पत्नी अचलपुरी जाति स्वामी निवासी रामजी की गोल तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
2. रूपों पुत्री दला पत्नी मानाराम
3. फगलूराम पुत्र खेताराम
4. लालाराम पुत्र खेताराम
5. पैलादराम पुत्र खेताराम
6. नानगाराम पुत्र खेताराम
7. रामूदेवी पत्नी खेताराम
8. पूनमाराम पुत्र सुरताराम
9. देवाराम पुत्र नरसिंगाराम
10. धरमाराम पुत्र नरसिंगाराम
11. लिच्छुदेवी पत्नी नरसिंगाराम
12. मूलाराम पुत्र प्रभुराम
13. तुलछाराम पुत्र प्रभुराम
    जाति जाट निवासी सगरामाणियों की बेरी पटवार क्षेत्र पीपराली तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
14. तहसीलदार गुडामालानी

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 18.07.2000 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री हुकमसिंह चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री नारायण कुमावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1से13 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 14 प्रफार्मा पक्षकार।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.04 10:27:54 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

निर्णय

दिनांक : 25.01.2022

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार गुड़ामालानी के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 18.07.2000 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा सगरामाणियों की बेरी के खेत खसरा नंबर 767 रकबा 170–10 बीघा भूमि के खातेदारान खेता वल्द दला, तुलछीदेवी जोजे अचलपुरी कौम स्वामी साकिन रामजी का गोल 3/8 रूपों पुत्री दला पत्नी माना 1/8 हि0 फगलू लाला पैलाद नानगा पि0 खेता मु0 रामू बेवा खेता 1/8 हि0 पूनमा नरसींगा पि0 सुरता 1/8 हि0 फगलू लाला पैलाद नानलगा पि0 खेता मूला सुखराम तुलसा पि0 प्रभू 1/8 हि0 जाति सिहाग जाट ने दिनांक 10.07.2000 को तहसीलदार गुडामालानी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान पटवारी पीपराली द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी पीपराली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दर्शाये अनुसार विभाजन प्रस्ताव सही है। मौके पर सहखातेदार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज हैं। सहखातेदारों में आपसी पूर्ण सहमति है। इस पर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2000 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.06.2019 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट व रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.04 10:27:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

मौजा सगरामाणियों की बेरी तहसील गुडामालानी के खेत खसरा नंबर 767 रकबा 170–10 बीघा की संयुक्त खातेदारी की भूमि में से अपीलांट के 1/2 हिस्से में 85–05 बीघा भूमि तथा उत्तरदातागण संख्या 2 से 14 के 1/2 हिस्से में 85–05 बीघा भूमि आती है। इस भूमि में से दिनांक 12.02.1992 को अपीलांट ने रेस्पोडेंट संख्या 2 रूपोंदेवी को अपने 1/2 हिस्से में से 21 बीघा भूमि का बेचान कर दिया जिस पर उसका नाम 1/8 हिस्से में खातेदारी में दर्ज हो गया। अपीलांट खेताराम ने दिनांक 07.06.1997 को उत्तरदाता संख्या 1 तुलछीदेवी को 08 बीघा भूमि का बेचान कर कुल 29 बीघा भूमि का बेचान कर दिया। इस प्रकार अपीलांट के हिस्से में 55–18 बीघा भूमि शेष रहती है जबकि बंटवाडे में उसे केवल 38 बीघा भूमि दी गई है। अपीलांट अनपढ व ग्रामीण होने से इसका ज्ञान उसे नहीं हुआ। अपीलांट द्वारा दिनांक 21.05.2019 को जमाबंदी व नक्शे की नकल तथा बंटवाडे की नकल प्राप्त करने पर ही उसे इस बात की सर्वप्रथम जानकारी हुई। इस पर अपीलांट को सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई हैं फिर भी अज्ञानतावश हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत हैं। इस प्रकार तहसीलदार गुडामालानी ने निहित क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी व तथ्यों की भारी भूल की है जो आदेश निरस्त करने योग्य हैं।

5. रेस्पोडेंट सं. 3 से 14 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में प्रकट किया कि अपीलाधीन आराजी अविभाजित मूल खसरा संख्या 767 रकबा 207–10 बीघा दला हीरा पि0 बागा डालू सुरता पि0 दैरामा कौम जाट के नाम आधा–आधा दर्ज था। अपीलांट के पिता दलाराम द्वारा अपने हिस्से की उक्त 103–15 बीघा भूमि में से 37 बीघा भूमि का बेचान करने पर शेष रकबा 170–10 बीघा रहा जबकि रेस्पोडेंट संख्या 3 से 14 का मूल हिस्सा 103–15 बीघा यथावत रहा है। खातेदार दला द्वारा 37 बीघा भूमि का बेचान करने के पश्चात शेष रकबा 170–10 बीघा रहा है जबकि उत्तरदाता संख्या 3 से 14 द्वारा व उनके पूर्वजों द्वारा कोई बेचान नहीं करने पर उनके हक–हिस्सा में 103–15 बीघा भूमि आती है। इसके अलावा अपीलांट की बहन व अपीलांट से खरी[illegible] से उनका हिस्सा अपीलांट के साथ ही है न कि उ[illegible] द्वारा 29 बीघा एवं अपीलांट के पिता द्वारा [illegible] 37–15 बीघा भूमि रहती है जबकि उसे अपीलाधीन विभाजन [illegible] 38 बीघा भूमि दी गई है जो कि 5 बिस्वा हिस्से से अधिक है। ऐसे में अपीलांट का यह कथन कि उसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.04 10:27:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

विभाजन में हिस्से से कम भूमि दी गई है सरासर गलत है। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव के साथ सभी पक्षकारान ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी स्वतंत्र सहमति प्रकट की गई। इस पर तहसीलदार गूडामालानी द्वारा विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर तस्दीक किया गया। हलका पटवारी द्वारा उक्त विभाजन इकरारनामे पर स्पष्ट रिपोर्ट की गई है कि नक्शा में दर्शाये अनुसार कृषि जोत का विभाजन प्रस्ताव सही है, मौके पर सहखातेदारान विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती भूल नहीं की गई है। लिहाजा अपीलांट्स की यह अपील सारहीन व आधारहीन होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है जो खारिज फरमाई जावे।

6. हमने अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा सगरामाणियों की बेरी के खेत खसरा नंबर 767 रकबा 170–10 बीघा भूमि के खातेदारान खेता वल्द दला, तुलछीदेवी जोजे अचलपुरी कौम स्वामी साकिन रामजी का गोल 3/8 रूपों पुत्री दला पत्नी माना 1/8 हि0 फगलू लाला पैलाद नानगा पि0 खेता मु0 रामू बेवा खेता 1/8 हि0 पूनमा नरसींगा पि0 सुरता 1/8 हि0 फगलू लाला पैलाद नानलगा पि0 खेता मूला सुखराम तुलसा पि0 प्रभू 1/8 हि0 जाति सिहाग जाट ने दिनांक 10.07.2000 को तहसीलदार गुडामालानी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान पटवारी पीपराली द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी पीपराली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दर्शाये अनुसार विभाजन प्रस्ताव सही है। मौके पर सहखातेदार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज हैं। सहखातेदारों में आपसी पूर्ण सहमति है। इस पर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2000 पारित कि[illegible] अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा इस अपील में मुख्य [illegible] गया है कि उसे अपीलाधीन विभाजन के [illegible] है जबकि अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रकट तथ्य अनुसार अपील[illegible] अपने हिस्से की भूमि विक्रय किये जाने से अवशेष जो भूमि उसके हिस्से में आती है उसी अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.04 10:27:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

सहमति इकरार द्वारा विभाजन में दी गई है। अब इस सहमति में यदि उसके द्वारा स्वयं ही अपने हिस्से की भूमि उर्वरकता एवं अन्य प्रकार से किस्म व कीमत को मध्यनजर रखते हुए कम–ज्यादा का इकरार कर सहमति दी है तो अब वह अपने स्वयं के कथन से भिन्न कथन करने से विबंधित है। हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान ने अधिनस्थ तहसीलदार गुडामालानी के समक्ष धारा 53(2)(i) के तहत सहमति इकरारनामा प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी का विभाजन स्वीकार किया हैं तथा तहसीलदार गुडामालानी द्वारा इस इकरारनामा को पक्षकारान की उपस्थिति में उनकी स्वतंत्र सहमति से अपीलाधीन आदेश के द्वारा तस्दीक किया गया हैं। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध लगभग 20 वर्ष की लम्बी समयावधि के बाद यह अपील प्रस्तुत की गई हैं तथा विलम्ब के सम्बन्ध में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक कारण नहीं दर्शाया हैं। इस प्रकार अपीलांट की यह अपील मयाद बाधित हैं तथा विलम्ब का कोई ठोस एवं युक्तियुक्त कारण दर्शित नहीं किये जाने से खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक 25.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.04 10:27:54 IST
Reason: SelfAttested